सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 09, शनिवार, *शाके* 1947- फरवरी 28, 2026
Phalguna 09, Saturday, Saka 1947- February 28, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 27, 2026

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं नियम 21(1) के अधीन)

प्रपत्र – 9

भूमि अवाप्ति की घोषणा

RajKaj Ref No.: 20799545 :-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 19 (1) एवं नियम 21 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए बीकानेर जिले के कानासर में केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) की परियोजना सेतु बंधन के अन्तर्गत स्वीकृत रेलवे ओवर ब्रिज (आर.ओ. बी.) बीकानेर एलसी नं. 147 ब्लॉक स्टेशन कानासर–लालगढ़ (रेलवे उपरिगामी सेतु) निर्माण हेतु ग्राम कानासर तहसील बीकानेर में कुल 1.5675 हैक्टेयर भूमि आवश्यक है।

अतः यह घोषणा की जाती है कि मानक माप के अनुसार 1.5675 हैक्टेयर भूमि के खंडो का उपरोक्त परियोजना के लिए ग्राम कानासर तहसील बीकानेर जिला बीकानेर की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु अधिग्रहण किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :–

धारा 19(1) के अंतर्गत भूमि अवाप्ति की घोषणा

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या (खसरा नं.)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का वर्गीकरण	अर्जन का क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाऐं	
						पु.	प.	उ.	द.	किस्म	संख्या	प्रकार	कुर्सी (च्सपदजी) क्षेत्रफल
1	815 / 293	निजी	गै. मु.	0ण्4679	पी0ए0 एग्रो कम्पनी एवं सुरजाराम, पुत्र पेमाराम, विरेन्द्र पुत्र सुखरामाराम	रेल्वे लाईन	नोपाराम पुत्र बाबुराम	एनएच जैसलमेर श्रीगंगानगर बाईपास	संतादेवी पत्नि मोहनराम, नाथी पत्नि सुरजाराम	0	0	दुकान / मकान, कम्पाउण्ड वॉल	184.165 वर्गमीटर, 90 रनिंग मीटर

2	817 / 293	निजी	गै. मु.	0ए2023	अनोपाराम पुत्र बाबुराम	गौरव पुत्र गोविन्दराम	रोहित पुत्र कृष्ण कुमार	एनएच जैसलमेर श्रीगंगानगर बाईपास	अन्नु पत्नि रोहित	0	0	कम्पाउण्ड वॉल	48.20 रनिंग मीटर
3.	821 / 293	निजी	बारानी	0ए0505	रोहित कुमार पुत्र कृष्ण कुमार यादव	मनोज पुत्र भंवरलाल	अनोपाराम पुत्र बाबुराम	एनएच जैसलमेर श्रीगंगानगर बाईपास	मांगीलाल पुत्र शंकरलाल	0	0	0	0
4.	827 / 293	निजी	बारानी	0ए0505	मनोज पुत्र भंवरलाल मेघवाल सुजानगढ़	गौरव पुत्र गोविन्दराम	रोहित पुत्र कृष्ण कुमार	एनएच जैसलमेर श्रीगंगानगर बाईपास	मनोज पुत्र भंवरलाल	0	0	0	0
5	742 / 4	निजी	गै. मु.	0ए0505	मनीषा पुत्री मोहनराम बीकानेर	विनोद पुत्र मनफूलराम	रेल्वे लाईन	एनएच जैसलमेर श्रीगंगानगर बाईपास	मनीराम पुत्र देदाराम	0	0	कम्पाउण्ड वॉल	48.2 रनिंग मीटर
6	742 / 3	निजी	बारानी	0ए0632	विनोद कुमार पुत्र मनफूलराम,	रेणु पत्नि राकेश	मनीषा पुत्री मोहनराम	एनएच जैसलमेर श्रीगंगानगर बाईपास	मनीराम पुत्र देदाराम	0	0	व्यवसायिक भवन, कम्पाउण्ड वॉल, प्लेट फार्म	40.02 वर्गमीटर एवं 30.50 रनिंग मीटर, 6.98 वर्गमीटर
7	741 / 1	निजी	बारानी	0ए5311	साधना पत्नि श्याम माली, बीकानेर	मै0पी0ए0 एण्ड कम्पनी	रेणु पत्नि राकेश	एनएच जैसलमेर श्रीगंगानगर बाईपास	गोविन्दराम पुत्र जेठमल	0	0	0	0
8	742 / 2	निजी	बारानी	0ए0505	रेणु पत्नि राकेश जाति भण्डारी निवासी जयपुर	मै0पी0ए0 एण्ड कम्पनी	विनोद पुत्र मनफूलराम ,मनीराम पुत्र देदाराम	एनएच जैसलमेर श्रीगंगानगर बाईपास	गोविन्दराम पुत्र जेठमल	0	0	गार्ड रूम, ऑफिस , कम्पाउण्ड वॉल (व्यवसायिक)	46.56 वर्गमीटर एवं 12.05 रनिंग मीटर
9	740 / 3	निजी	बारानी	0ए0505	मै0पी0ए0 एण्ड कम्पनी जरिए अविनाश पुत्र अरूण	मुलीदेवी पत्नि आसुराम	साधना पत्नि श्याम	एनएच जैसलमेर श्रीगंगानगर बाईपास	मूलीदेवी पत्नि कामड़,	0	0	0	0
10	292 / 7	निजी	गै.मु.	0ए0505	सुखरामाराम पुत्र झुमरराम, हिस्सा 2. 3391 वर्गमीटर और वगैरहा	रेल्वे लाईन	सुखरामाराम सन्तोष राजेन्द्र वगेराह	एनएच जैसलमेर श्रीगंगानगर बाईपास	–	0	0	0	0
				1ए5675						0	0	0	0

यह घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 के तहत इच्छुक और हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों की सुनवाई और जांच के बाद की जा रही है। उपरोक्त परियोजना हेतु की जा रही भूमि अवाप्ति से कोई भी व्यक्ति/परिवार विस्थापित नहीं होने से पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन योजना की आवश्यकता नहीं है।

अर्जित की जा रही भूमि के नीचे स्थित खनिजों का उपर्युक्त परियोजना के निर्माण हेतु खड्डे खोदने, हटाने व निर्माण में प्रयुक्त करने के सिवाय खनन नहीं किया जावेगा।

भूमि अवाप्ति योजना (एल.ए.पी) का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस पर भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के कार्यालय में किया जा सकता है।

अधिग्रहण की आपत्तियाँ यदि कोई हो तो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस दिनों) दिवसों की भीतर इच्छुक व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है।

आर.के.लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।